रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 1991/श्रावण 31, 1913
No. 310] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 1991/SRAVANA 31, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

---

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1991

सा.का.नि. 544(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 13 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची में, ज्येष्ठ पुस्तकालय परिचर के पद से संबंधित क्रम सं 5 के सामने, —2(i) स्तम्भ 5 में प्रविष्टि "950–20–1150–द.रो.–25–1400 रु." के स्थान पर निम्नलिखित वेतनमान रखा जाएगा, अर्थात :—

"950–20–1150–द.रो.–25–1500 रु." ।

2(ii) स्तम्भ 9 में "लागू नहीं होता" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में" सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं ही लागू होंगी"।

[संख्या डी-21011/1/91-ए.टी.]

यू. एस. तिवारी, अवर सचिव

पाद टिप्पणी :—मुख्य नियम दिनांक 14 मार्च, 1987 की सा.का.नि. सं. 161 द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गये एवं तत्पश्चात् दिनांक 3 जुलाई, 1990 की सा.का.नि. सं. 626 (ई) द्वारा संशोधित किए गए हैं।

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 1991

G.S.R. 544(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of section 13 of the Administrative Tribunals Act, 1985 the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1987 namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Administrative Tribunal (Group 'C' and Group 'D' posts), Recruitment Rules, 1987, against serial no. 5, pertaining to the post of Senior Library Attendent.

(i) in column 5 for the entry "Rs. 950-20-1150-EB-25-1400", the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 950-20-1150-EB-25-1500".

(ii) in column 9 for the words "Not applicable" the following shall be substituted; namely,

"In the case of promotees, only the educational qualifications, prescribed for direct recruits, shall apply."

[No. D-21011|1|91-AT]

U. S. TIWARI, Under Secy.

Foot Note :—The Principal Rules were published vide No. G.S.R. 161 dated the 14th March, 1987 in the Official Gazette and subsequently amended vide G.S.R. No. 626(E), dated 3-7-1990.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991